


राजस्थान -सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।  
क्रमांक:- ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/वी-374/19/ दिनांक:-

आदेश

श्री विजेश कुमार खींची, नर्स-2 (परिवीक्षाधीन), प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जैसलमेर को घरेलू कार्य से दिनांक 02.06.17 से 18.09.17-109 दिवस असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अतः वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश (79दिवस) की सीमा तक परिवीक्षा काल में अभिवृद्धि की जावेगी।

  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/वी-374/19/16

दिनांक:- 09/01/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय को उनके आई.डी. क्रमांक: 02/रा.मं./त.शि./सं.शि./चि./19 दिनांक 02.01.19 के क्रम में।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, चि. एवं स्वा. विभाग, राज. जयपुर को उनकी आई.डी. क्रमांक: 4 दिनांक 04.01.19 के क्रम में।
3. संयुक्त शासन सचिव, (ग्रुप-3) चि. एवं स्वा. विभाग, राज. जयपुर को उनकी आई.डी. क्रमांक: 2298 दिनांक 01.01.19 के क्रम में।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जैसलमेर।
5. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करें।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(राकेश शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर।